छत्तीसगढ़ वन विभाग ने सामुदायिक वन अधिकार संबंधी निर्देश वापस लिये

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने **हाल ही में अपना निर्देश वापस ले लिया है**, जिसके तहत **सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों** और निजी संस्थाओं को **सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR)** से **संबंधित कोई भी कार्य करने से रोक** दिया गया था।

मुख्य बिंदु

- **परामर्श वापस लेना:**
  - वन विभाग ने शुरू में **वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के तहत दी गई CFRR भूमि पर नियंत्रण का दावा किया था**, जो कि केंद्र सरकार द्वारा मॉडल प्रबंधन योजनाओं के जारी होने तक लंबित था।
  - परामर्श में **वन विभाग को CFRR कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी नामित किया गया**, जिसके कारण आदिवासी समुदायों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने इसे वन संसाधनों के प्रबंधन के अपने अधिकारों का उल्लंघन माना।
    - चिंताओं का समाधान करने के लिये, **वन विभाग ने जनजातीय मामलों और पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध** किया है कि वे सभी हितधारकों के लिये विस्तृत CFRR योजनाएँ, कार्यान्वयन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण मॉड्यूल तत्काल जारी किया जाए।
- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006**
  - **परिचय:** इसे वन में रहने **वाले अनुसूचित जनजातियों (ST)** और **अन्य पारंपरिक वन निवासियों (OTFD)** को **आधिकारिक रूप से वन अधिकारों और पट्टेदारी को मान्यता प्रदान करने के लिये अधिनियमित किया गया था**, जो अपने अधिकारों के औपचारिक दस्तावेज़ीकरण के बिना पीढ़ियों से इन वनों में आवास कर रहे हैं।
  - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उन **ऐतिहासिक अन्यायों** को सुधारना है, जिनका सामना इन **समुदायों को औपनिवेशिक और पश्च-औपनिवेशिक** वन प्रबंधन नीतियों के कारण करना पड़ा, जिन्होंने भूमि के साथ उनके गहन और सहजीवी संबंधों को नज़रअंदाज़ कर दिया।
    - भूमि तक स्थायी पहुँच और वन संसाधनों के उपयोग को सक्षम करके, **जैवविविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देकर** और उन्हें अवैध बेदखली और विस्थापन से बचाकर इन समुदायों को सशक्त बनाना।
  - **प्रावधान:**
    - **स्वामित्व अधिकार: लघु वन उपज (MFP)** पर स्वामित्व प्रदान करता है। वन उपज के संग्रह, उपयोग और निपटान की अनुमति प्रदान करता है।
      - MFP से तात्पर्य वनस्पति मूल के **सभी गैर-लकड़ी वन उत्पादों से है**, जिसमें बाँस, झाड़-झंखाड़, स्टंप और बेंत शामिल हैं।
    - **सामुदायिक अधिकार: इसमें निस्तार** (सामुदायिक वन संसाधन का एक प्रकार) जैसे पारंपरिक उपयोग अधिकार शामिल हैं।
    - **पर्यावास अधिकार: आदिम जनजातीय समूहों** और पूर्व-कृषि समुदायों के उनके पारंपरिक पर्यावासों के अधिकारों की रक्षा करता है।
    - **सामुदायिक वन संसाधन (CFR):** समुदायों को उन वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जनन और स्थायी प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है जिन्हें वे पारंपरिक रूप से संरक्षित करते आए हैं।
      - यह अधिनियम सरकार द्वारा प्रबंधित लोक कल्याण परियोजनाओं के लिये **वन भूमि के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो ग्राम सभा की स्वीकृति के अधीन है।**
- **सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR)**
  - **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** (जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाता है) की धारा 3(1)(i) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधन की "**सुरक्षा, पुनरोद्धार या संरक्षण या प्रबंधन" के अधिकार की मान्यता प्रदान करता है।**
    - ये अधिकार समुदाय को स्वयं तथा अन्य लोगों द्वारा **वन उपयोग के लिये नियम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम (FRA) की धारा 5 के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chhattisgarh-forest-department-withdrew-instructions-related-to-community-forest-rights